(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1812–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–10–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–498/अपील/01–02

.....

1– बीरेन्द्र कुमार
2– सुरेन्द्र कुमार, पुत्रगण श्री रामनारायण पटेल
दोनों निवासी–ग्राम देवरा तहसील हनुमना,
जिला–रीवा, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामचरित पटेल तनय श्रीधर पटेल (मृतक) वारिसान–

1. रामकुमारी पत्नी स्व0 श्री रामचरित पटेल
2. रामाधर पुत्र स्व0 श्री रामचरित पटेल
3. नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री रामचरित पटेल
4. विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री रामचरित पटेल

निवासीगण– ग्राम देवरा तहसील हनुमना,
जिला–रीवा, म0प्र0

2– शासन मध्यप्रदेश

———अनावेदकगण

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–10–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार के द्वारा दिनांक 03.12.97 को विवादित आराजी का व्यवस्थापन अनावेदकगण के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा इसके पश्चात

दिनांक 15.09.98 को आवेदक के पिता रामनारायण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना के समक्ष अपील पेश की जो प्रकरण क्रमांक 10/अ–19(3)/01–02 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 13.02.2002 को दोनों व्यवस्थापन आदेश निरस्त करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 498/अपील/2001–02 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 09.10.2007 को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुये, आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण के पक्ष में खसरा क्र0 2883 रकबा 1.72 एकड़ पर जो व्यवस्थापन हुआ था, वह पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन करते हुये बकायादा इश्तहार प्रकाशन के बाद स्वीकृत हुआ था, जिसमें कि राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन भी मंगाया गया था, तदुपरांत तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति लिये बगैर व्यवस्थापन आदेश निगरानीकर्तागणों के पक्ष में कर दिया गया । इसी तरह से यह भी लिखा है कि व्यवस्थापन नियमों का पालन नहीं किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रावधान के तहत व्यवस्थापन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की ओर ध्यान न देकर जो आदेश पारित किया है वह विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुये, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र0 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक क्र0 2 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उन्होंने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये एवं प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों का अध्ययन किये जाने पर विदित होता है कि तहसीलदार द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 03.12.97 को अनावेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है। इसके पश्चात पुनः तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.09.98 को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये उसी आराजी का

व्यवस्थापन आवेदकगण के पक्ष में पारित कर दिया गया। जबकि संहिता की धारा 51 के अंतर्गत तहसीलदार को वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.02.2002 में पूर्णरूप से प्रमाणित किया है कि व्यावस्थापन किये जाने के पूर्व नियमों का पालन नहीं किया गया है। विवादित आराजी शासकीय "नाला" दर्ज अभिलेख है और नाले का व्यवस्थापन किया जाना विधिसंगत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवस्थापन किये जाने के पूर्व नवइयत परिवर्तन भी नहीं किया गया, जबकि कलेक्टर से नवइयत परिवर्तन कराने के पश्चात ही व्यवस्थापन किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार द्वारा किये गये दोनों व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया है और अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है, जो कि उचित एवं न्यायसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.07 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,